प्रेषक,

**वित्त नियन्त्रक,**
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ ।

सेवा में,

**मुख्य पशु चिकित्साधिकारी**
पशुपालन विभाग मैनपुरी / झॉसी / जालौन / ललितपुर / बाराबंकी / बॉदा / चित्रकूट / हमीरपुर / महोबा / बलिया।

संख्या– **897** / बजट / 29(5) / अनु0–15 / 12 / 2025–26 दिनांक–**02.06.2025**

**विषयः–** **अनुदान संख्या–15 के अधीन सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना (रा0यो0) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए धनराशि का ऑवटन ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–96 / 2025 / 846 / सैंतीस–2–2025 / 001–1(41) / 2013 दिनांक 26 मई, 2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान सं0–15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–08–सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना (रा0यो0) अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों एंव मैनपुरी, बाराबंकी तथा बलिया में कियाशील कुल 51 सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रू0 152.00 लाख (रूपये एक करोड़ बावन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिसके कम में निदेशक, प्रशासन एवं विकास के पत्र संख्या–148 / सा0–एक / एक्स–120 (187) / 2025–26 दिनांक–02.06.2025 द्वारा प्राप्त आवंटन प्रस्ताव के अनुसार संलग्न **Allotment Grid Report** में उल्लिखित धनराशि को निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपको आवंटित की जाती है। उल्लिखित शर्तो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। शर्तो से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

(1) आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) आवंटित धनराशि का व्यय / उपयोग उसी मद / प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः आवंटित की जा रही है।

(3) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्त्रोत से धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(4) आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक / डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत वस्तुओं / सामग्रियों आदि का कय उ0प्र0 भण्डार कय नियमावली तथा वित्त विभाग / सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स)–2016 एवं विभागीय कय नीति का (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

(6) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

(7) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(8) यदि आहरण वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एंव वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण / व्यय न किया जाय।

(9) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) आवंटित धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V पार्ट-I के पैरा-162 में विहित प्राविधानों कर कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2024-231/2025 दि0 27.03.2025 एंव समय-समय पर निर्गत शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(14) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना (रा0यो0) की सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

(15) आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आवंटन रजिस्टर के कम संख्या-12 (अनु0-15) पर अंकित कर ली गई है।

**संलग्नकः यथोपरि ।**

भवदीय,

**(ब्रजेश कुमार)**
वित्त नियन्त्रक।

**संख्या- 897/बजट/29(5)/अनु0-15/12/2025-26 तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी मैनपुरी/ झाँसी/ जालौन/ ललितपुर/बाराबंकी/बॉदा/चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा/बलिया।

(2) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/लेखा अनुभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) योजनाधिकारी संयुक्त निदेशक (रो0नि0), मु0 को उनके पत्र संख्या-148/सा0-एक/ एक्स-120 (187)/2025-26 दिनांक-02.06.2025 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजना से संबंधित कार्ययोजना/गाईडलाइन्स संबंधित आ0वि0अधि0 को तत्काल उपलब्ध कराते हुए योजना में आवंटित धनराशि के व्यय की सघन समीक्षा कर व्यय कराना सुनिश्चित करायें।

(6) सहायक निदेशक(नियोजन) मुख्यालय।

(7) कम्प्यूटर आपरेटर-कम-सुपरवाइजर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन को विभागीय वेवसाइड पर तत्काल फीड करने का कष्ट करें।

(8) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय।

**(ब्रजेश कुमार)**
वित्त नियन्त्रक।

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2025-2026**
**आवंटन दिनांक-02/06/2025**

**प्रेषण संख्या:-** 897
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-29-5-ANU-15-12-2025-26
**अनुदान संख्या:-** 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य
08 - सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना (राज्य योजना)

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 42-अन्य व्यय | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मैनपुरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 110000<br>110000 | 24000<br>24000 | 200000<br>200000 | 334000<br>334000 |
| 2 | झाँसी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 705000<br>705000 | 192000<br>192000 | 1805000<br>1805000 | 2702000<br>2702000 |
| 3 | जालौन-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 920000<br>920000 | 216000<br>216000 | 1725000<br>1725000 | 2861000<br>2861000 |
| 4 | हमीरपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 490000<br>490000 | 168000<br>168000 | 830000<br>830000 | 1488000<br>1488000 |
| 5 | बांदा -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 880000<br>880000 | 192000<br>192000 | 1795000<br>1795000 | 2867000<br>2867000 |
| 6 | बलिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 110000<br>110000 | 24000<br>24000 | 200000<br>200000 | 334000<br>334000 |
| 7 | बाराबंकी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 110000<br>110000 | 24000<br>24000 | 200000<br>200000 | 334000<br>334000 |
| 8 | ललितपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 515000<br>515000 | 144000<br>144000 | 992000<br>992000 | 1651000<br>1651000 |
| 9 | महोबा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 450000<br>450000 | 96000<br>96000 | 648000<br>648000 | 1194000<br>1194000 |
| 10 | चित्रकूट-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 510000<br>510000 | 120000<br>120000 | 805000<br>805000 | 1435000<br>1435000 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 4800000<br>4800000 | 1200000<br>1200000 | 9200000<br>9200000 | 15200000<br>15200000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बावन लाख
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ बावन लाख

(ब्रजेश कुमार)
**वित्त नियंत्रक**

Digitally signed by BRAJESH KUMAR SHAKYA
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2025.06.02 04:59:09 +05:30